प्रेषक,

अजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त, 2022

विषय:- जनपद श्रावस्ती में निर्माणाधीन नवीन जिला कारागार के निर्माण के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18196/नम-3/42-II/17, दिनांक 20.07.2021 एवं पत्र संख्या-14408/नम-3/42/श्रावस्ती/2019, दिनांक 05.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा नवीन जिला कारागार, श्रावस्ती के निर्माण हेतु चालू परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन रू0 11232.34 लाख की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित बजट से कराये जाने का अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-19.08.2013 द्वारा रू0 6158.60 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 2000.00 लाख, शासनादेश दिनांक-22.08.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 2500.00 लाख एवं शासनादेश दिनांक-14.05.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में तृतीय किश्त की धनराशि रू0 1350.67 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्पश्चात शासनादेश दिनांक-4.10.2016 द्वारा पुनरीक्षित आगणन रू0 9904.89 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश दिनांक-14.12.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि रू0 2000.00 लाख एवं शासनादेश दिनांक-15.03.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रू0 1028.82 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। शासनादेश दिनांक-24.08.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 530.15 हजार की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल धनराशि रू0 9409.64 लाख वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। तदोपरान्त जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 1,67,03,250/- की स्वीकृति शासनादेश दिनांक-16.03.2021 द्वारा प्रदान करने के उपरान्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 1,00,71,92,250/- स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष अब तक कुल धनराशि रू0 9576.67 लाख की धनराशि कारागार मुख्यालय को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया सम्यक् विचारोपरान्त निर्माणाधीन जिला कारागार, श्रावस्ती के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु परियोजना की पुनरीक्षित लागत कुल रू0 11083.55 लाख पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण लागत की 05 प्रतिशत धनराशि रोकते हुए अवशेष धनराशि रू0 952.7 लाख (रूपया नौ करोड़ बावन लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अन्तर्गत न तो धनराशि स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्न्गत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा।

(10) निर्माण कार्य कार्यदायी संस्थावओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में इस आश्य का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए आवश्य्क धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जाय।

(11) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(12) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्य हेतु निर्माताओं प्रतिस्पर्धाओं के आधार पर दरें प्राप्त करें चूंकि इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे मेक मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,52,07,000 (रुपये नौ करोड़ बावन लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- E-12-149-X-2021-22- दिनांक: 01-08-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-100/2022/860/001-22-4-2022-48-1-2005, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, श्रावस्ती।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) निजी सचिव, मा0 राज्ययमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।